

राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल, जयपुर

(प्लॉट नं. 6 एवेरस्ट कॉलोनी लाल कोठी जयपुर)

क्रमांक: पैरा मेडि. कॉ / 2017 / १५५०

दिनांक: २८-८-१७

सीमित निविदा सूचना

इस कार्यालय में दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाये ऐजेन्सी के माध्यम से अनुबंध पर लेने हेतु पंजीकृत ऐजेन्सी से प्रस्ताव आंमत्रित किये जाते हैं। इच्छुक पंजीकृत ऐजेन्सी निर्धारित प्रपत्र में अपने प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 29.08.2017 से 04.09.2017 (अपराह्न 02 बजे) तक प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त प्रस्ताव उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोले जावेगे। आवेदन प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें इस कार्यालय की वेबसाइट www.rajasthanparamedicalcouncil.org पर भी देखी जा सकती हैं किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्रमांक: पैरा मेडि. कॉ / 2017 / १५५०

रजिस्ट्रार

दिनांक: २८-८-१७

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी सर्वररूम को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को आज ही RPMC की वेबसाइट पर अपलोड करें।
2. नोटिस बोर्ड (प्लॉट नं. 6 एवेरस्ट कॉलोनी लाल कोठी जयपुर)
3. मैसर्स..... |
4. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर
(प्लॉट नं. 6 एवरस्ट कॉलोनी लाल कोठी जयपुर)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाये (अनुबंध पर) हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक ऐजेसी का नाम एवं पता
टेलीफोन नम्बर
2. रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक
(रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
.....
.....
.....
.....
.....
3. टिन/पैन नं.
(छाया प्रति संलग्न करें)
.....
.....
.....
.....
.....
4. वैट/सर्विस टैक्स का रजिस्टर्ड नं. व तिथि
(छाया प्रति संलग्न करें)
.....
.....
.....
.....
5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए मासिक दर
(प्रति व्यक्ति दर)
.....
.....
.....
6. अधिकृत व्यक्ति का नाम व पता
टेलीफोन नम्बर
(पहचान पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।)
.....
.....
.....
7. अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
.....

(हस्ताक्षर बोलीदाता)

निविदा की शर्तें

- कर्मचारी की सेवाये प्रत्येक कार्य दिवस मे प्रातः 9 बजे से सायं 6.00 बजे तक के लिए होगी। आवश्यकता होने पर कार्यालय समय से पूर्व अथवा कार्यालय समय पश्चात् भी सेवाये देनी होगी।
- कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।
- राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता होने पर सेवाये देनी होगी जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किए जावेगा।
- अनुपस्थित की दशा में नियमानुसार पारिश्रमिक की कटौति की जाकर भुगतान किया जावेगा।
- न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने की जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी।
- इस कार्यालय द्वारा पी.एफ एण्ड ई.एस.आई इत्यादि के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यह ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी, ऐजेन्सी को किये जाने वाले भुगतान पर नियमानुसार स्त्रोत पर कर (टी.डी.एस) की कटौति की जावेगी।
- सेवाये सन्तोषप्रद नहीं पाये जाने पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा।
- उक्त अनुबन्ध की अवधि नियमानुसार होगी जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
- किसी भी प्रकार के विवाद के लिए न्यायालय क्षेत्र जयपुर होगा।

(हस्ताक्षर बोलीदाता)